उत्तराखण्ड शासन

आवास अनुभाग–2

संख्या:1793/V–2/2017–05(आ0)/2017

देहरादून 13 नवम्बर, 2017

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा 3 सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या 35/V–2/60 (आ0)15/2016 दिनांक 03 जनवरी, 2017, अधिसूचना संख्या 1864/V–2/60(आ0)15/2016 दिनांक 21 दिसम्बर, 2016, अधिसूचना संख्या 1865/V–2/ 60(आ0)15/2016 दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 अधिसूचना संख्या 1866/V–2/60(आ0)15/2016 दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 एवं अधिसूचना संख्या 1867/V–2/60(आ0)15/2016 दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 का अधिक्रमण करते हुए निम्नलिखित भू–भागों को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण चमोली के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(क) स्थानीय विकास प्राधिकरण, गैरसैण, गोचर, चमोली–गोपेश्वर, औली, बद्रीनाथ का अधिसूचित समस्त क्षेत्र।

(ख) जिला चमोली के समस्त स्थानीय विकास निकाय यथा (छावनी परिषद को छोड़ते हुए) नगर पालिका एवं नगर पंचायत।

(ग) जिला चमोली के राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग के मध्य से दोनो ओर 200 मीटर तक के समस्त राजस्व ग्राम सूची संलग्न।

संलग्नक–यथोपरि।

(अमित सिंह नेगी)

सचिव।

संख्या– 1793/V–2/05(आ0)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : सयुंक्त निदेशक, राजकीय मुद्राणालय, रूडकी, हरिद्वार को उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट की 500 प्रतियॉ मुद्रित करते हुए प्रतियॉ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
सयुंक्त सचिव।

संख्या–1793/V–2/05(आ0)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव, नियोजन, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– मण्डलायुक्त, गढवाल एवं कुमायूँ।
4– मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण,देहरादून।
5 समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– जिलाधिकारी, चमोली।
7– अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), चमोली।
8– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/टिहरी।
9– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
10– सचिव, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून/नैनीताल/गंगोत्री।
11– गार्ड पत्रावली/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह राणा)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
आवास अनुभाग–2
संख्याः —/V–2/2017–05(आ0)/2017
देहरादून 13 नवम्बर, 2017

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा–4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्या–1793/V–2/05(आ0)/2017, दिनांक 13 नवम्बर, 2017 के द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, चमोली के रूप में अधिसूचित किया जाता है तथा गढवाल मण्डल के मण्डलायुक्त को अध्यक्ष, जिलाधिकारी, चमोली को उपाध्यक्ष तथा अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), चमोली को सचिव के रूप में अग्रिम आदेशों तक कार्य करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या —/V–2/05(आ0)/2017 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि : सयुंक्त निदेशक, राजकीय मुद्राणालय, रूडकी, हरिद्वार को उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट की 500 प्रतियॉ मुद्रित करते हुए प्रतियॉ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
(राजेन्द्र सिंह)
सयुंक्त सचिव।

1794(2)
संख्या /V–2/05(आ0)/2017 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव, नियोजन, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– मण्डलायुक्त, गढवाल एवं कुमायूॅ।
4– मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण,देहरादून।
5 समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– जिलाधिकारी, चमोली।
7– अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), चमोली।
8– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/टिहरी।
9– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
10– सचिव, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून/नैनीताल/गंगोत्री।
11– गार्ड पत्रावली/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,
(प्रेम सिंह राणा)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
आवास अनुभाग–2
संख्या:1795/V–2/2017–05(आ0)/2017
देहरादून 13 नवम्बर, 2017

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा 3 सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा–21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या 1862/V–2/60(आ0)15/2016, दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 का अधिक्रमण करते हुए निम्नलिखित भू–भागों को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण रूद्रप्रयाग के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

(क) स्थानीय विकास प्राधिकरण, रूद्रप्रयाग का अधिसूचित समस्त क्षेत्र।

(ख) जिला रूद्रप्रयाग के समस्त स्थानीय विकास निकाय यथा (छावनी परिषद को छोड़ते हुए) नगर पालिका एवं नगर पंचायत।

(ग) जिला रूद्रप्रयाग के राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग के मध्य से दोनो ओर 200 मीटर तक के समस्त राजस्व ग्राम सूची संलग्न।

संलग्नक–यथोपरि।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या 1795/V–2/05(आ0)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : सयुंक्त निदेशक, राजकीय मुद्राणालय, रूडकी, हरिद्वार को इस आशय के साथ प्रेषित कि उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट की 500 प्रतियॉ मुद्रित कराते हुए प्रतियॉ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
सयुंक्त सचिव।

संख्या 1795/ V –2/05(आ0)/15/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।

2– सचिव, नियोजन, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

3– मण्डलायुक्त, गढवाल एवं कुमायूँ।

4– मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण,देहरादून।

5 समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

6– जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।

7– अपर जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।

8– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/टिहरी।

9– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।

10– सचिव, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।

11– गार्ड पत्रावली/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह राणा)

अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
आवास अनुभाग–2
संख्या:1795/V–2/2017–05(आ0)/2017
देहरादून 13 नवम्बर, 2017

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा 3 सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा–21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या 1862/V–2/60(आ0)15/2016, दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 का अधिक्रमण करते हुए निम्नलिखित भू–भागों को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण रूद्रप्रयाग के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

(क) स्थानीय विकास प्राधिकरण, रूद्रप्रयाग का अधिसूचित समस्त क्षेत्र।

(ख) जिला रूद्रप्रयाग के समस्त स्थानीय विकास निकाय यथा (छावनी परिषद को छोड़ते हुए) नगर पालिका एवं नगर पंचायत।

(ग) जिला रूद्रप्रयाग के राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग के मध्य से दोनो ओर 200 मीटर तक के समस्त राजस्व ग्राम सूची संलग्न।

संलग्नक–यथोपरि।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या 1795/V–2/05(आ0)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : सयुंक्त निदेशक, राजकीय मुद्राणालय, रूडकी, हरिद्वार को इस आशय के साथ प्रेषित कि उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट की 500 प्रतियॉ मुद्रित कराते हुए प्रतियॉ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
सयुंक्त सचिव।

संख्या 1795/ V –2/05(आ0)/15/2017 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव, नियोजन, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– मण्डलायुक्त, गढवाल एवं कुमायूँ।
4– मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण,देहरादून।
5 समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।
7– अपर जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।
8– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/टिहरी।
9– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
10– सचिव, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
11– गार्ड पत्रावली/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह राणा)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
आवास अनुभाग–2
संख्या: /V–2/2017–05(आ0)/2017
देहरादून 13 नवम्बर, 2017

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्या–1795/V–2/05(आ0)/2017, दिनांक नवम्बर, 2017 के द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, रूद्रप्रयाग के रूप में अधिसूचित किया जाता है तथा गढ़वाल मण्डल के मण्डलायुक्त को अध्यक्ष, जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग को उपाध्यक्ष तथा अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), रूद्रप्रयाग को सचिव के रूप में अग्रिम आदेशों तक कार्य करने हेतु अधिकृत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या /V–2/05(आ0)/2017 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि : सयुंक्त निदेशक, राजकीय मुद्राणालय, रूडकी, हरिद्वार को इस आशय के साथ प्रेषित कि उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट की 500 प्रतियॉ मुद्रित कराते हुए प्रतियॉ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
(राजेन्द्र सिंह)
सयुंक्त सचिव।

1796(2)
संख्या /V–2/05(आ0)/2017 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1– सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव, नियोजन, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– मण्डलायुक्त, गढवाल एवं कुमायूॅ।
4– मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण,देहरादून।
5 समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।
7– अपर जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।
8– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/टिहरी।
9– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
10– सचिव, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
11– गार्ड पत्रावली/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,
(प्रेम सिंह राणा)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

आवास अनुभाग–2

संख्या:1797 / V–2 / 2017–05(आ0) / 2017

देहरादून 13 नवम्बर, 2017

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा 3 सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा–21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या 1863 / V–2 / 60(आ0)15 / 2016 दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 एवं अधिसूचना संख्या 1857 / V–2 / 60(आ0)15 / 2016 दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 का अधिक्रमण करते हुए निम्नलिखित भू–भागों को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण पौडी के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(क) स्थानीय विकास प्राधिकरण, श्रीनगर, पौड़ी का अधिसूचित समस्त क्षेत्र।

(ख) जिला पौड़ी के समस्त स्थानीय विकास निकाय यथा (छावनी परिषद को छोड़ते हुए) नगर पालिका एवं नगर पंचायत।

(ग) जिला पौड़ी के राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग के मध्य से दोनो ओर 200 मीटर तक के समस्त राजस्व ग्राम सूची संलग्न।

संलग्नक–यथोपरि।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या 1797 / V–2 / 05(आ) / 2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : सयुंक्त निदेशक, राजकीय मुद्राणालय, रूडकी, हरिद्वार को इस आशय के साथ प्रेषित कि उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट की 500 प्रतियॉ मुद्रित कराते हुए प्रतियॉ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
सयुंक्त सचिव।

संख्या 1797/V–2/05(आ0)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।

2– सचिव, नियोजन, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

3– मण्डलायुक्त, गढवाल एवं कुमायूँ।

4– मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण,देहरादून।

5 समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

6– जिलाधिकारी, पौडी।

7– अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), पौडी।

8– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/टिहरी।

9– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।

10– सचिव, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।

11– गार्ड पत्रावली/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह राणा)

अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
आवास अनुभाग–2
संख्या: —/V–2/2017–05(आ0)/2017
देहरादून 13 नवम्बर, 2017

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्या–1797/V–2/05(आ0)/2017, दिनांक 13 नवम्बर, 2017 के द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, पौड़ी के रूप में अधिसूचित किया जाता है तथा गढ़वाल मण्डल के मण्डलायुक्त को अध्यक्ष, जिलाधिकारी, पौड़ी को उपाध्यक्ष तथा अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), पौड़ी को सचिव के रूप में अग्रिम आदेशों तक कार्य करने हेतु अधिकृत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या — /V–2/05(आ)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : सयुंक्त निदेशक, राजकीय मुद्राणालय, रूडकी, हरिद्वार को इस आशय के साथ प्रेषित कि उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट की 500 प्रतियॉ मुद्रित कराते हुए प्रतियॉ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
(राजेन्द्र सिंह)
सयुंक्त सचिव।

1798(2)
संख्या /V–2/05(आ0)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव, नियोजन, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– मण्डलायुक्त, गढवाल एवं कुमायूँ।
4– मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण,देहरादून।
5 समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– जिलाधिकारी, पौडी।
7– अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), पौडी।
8– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/टिहरी।
9– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
10– सचिव, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
11– गार्ड पत्रावली/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,
(प्रेम सिंह राणा)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
आवास अनुभाग–2
संख्याः1799 / V–2 / 2017–05(आ0) / 2017
देहरादून 13 नवम्बर, 2017

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा 3 सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या 1861 / V–2 / 60(आ0)15 / 2016 दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 का अधिक्रमण करते हुए निम्नलिखित भू–भागों को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण उत्तरकाशी के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(क) स्थानीय विकास प्राधिकरण, उत्तरकाशी का अधिसूचित समस्त क्षेत्र।

(ख) जिला उत्तरकाशी के समस्त स्थानीय विकास निकाय यथा (छावनी परिषद को छोड़ते हुए) नगर पालिका एवं नगर पंचायत।

(ग) जिला उत्तरकाशी के राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग के मध्य से दोनो ओर 200 मीटर तक के समस्त राजस्व ग्राम सूची संलग्न।

संलग्नक–यथोपरि।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या 1799 / V–2 / 05(आ0) / 2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : सयुंक्त निदेशक, राजकीय मुद्राणालय, रूडकी, हरिद्वार को इस आशय के साथ प्रेषित कि उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट की 500 प्रतियॉ मुद्रित कराते हुए प्रतियॉ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
सयुंक्त सचिव।

संख्या 1799/V-2/05(आ0)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।

2- सचिव, नियोजन, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

3- मण्डलायुक्त, गढवाल एवं कुमायूँ।

4- मुख्य प्रशासक,उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण,देहरादून।

5 समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

6- जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

7- अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

8- उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/टिहरी।

9- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।

10- सचिव, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।

11- गार्ड पत्रावली/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह राणा)

अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
आवास अनुभाग–2
संख्याः — /v–2/2017–05(आ0)/2017
देहरादून नवम्बर, 2017

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्या–1799/V–2/05(आ0)/2017, दिनांक 13 नवम्बर, 2017 के द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उत्तरकाशी के रूप में अधिसूचित किया जाता है तथा गढ़वाल मण्डल के मण्डलायुक्त को अध्यक्ष, जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को उपाध्यक्ष तथा अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), उत्तरकाशी को सचिव के रूप में अग्रिम आदेशों तक कार्य करने हेतु अधिकृत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या — /V–2/05(आ)/2017 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि : सयुंक्त निदेशक, राजकीय मुद्राणालय, रूडकी, हरिद्वार को इस आशय के साथ प्रेषित कि उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट की 500 प्रतियॉ मुद्रित कराते हुए प्रतियॉ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
सयुंक्त सचिव।

संख्या (8500(1))/V–2/05(आ0)/2017 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव, नियोजन, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– मण्डलायुक्त, गढवाल एवं कुमायूँ।
4– मुख्य प्रशासक,उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
7– अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
8– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/टिहरी।
9– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
10– सचिव, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
11– गार्ड पत्रावली/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह राणा)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
आवास अनुभाग–2
संख्याः 1801/V–2/2017–05(आ0)/2017
देहरादून 13 नवम्बर, 2017

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा 3 सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा–21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या–438/V/आ0–2009–46 (आ0)/2007 दिनांक 26 फरवरी, 2009 का अधिक्रमण करते हुए निम्नलिखित भू–भागों को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(क) टिहरी झील परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण, टिहरी गढ़वाल का वह भू–भाग जो नई टिहरी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (पर्यटन विभाग) के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र को छोड़ते हुए अवशेष क्षेत्र।
(ख) जिला टिहरी के समस्त स्थानीय विकास निकाय यथा (छावनी परिषद को छोड़ते हुए) नगर पालिका एवं नगर पंचायत।
(ग) जिला टिहरी के राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग के मध्य से दोनो ओर 200 मीटर तक के समस्त राजस्व ग्राम सूची संलग्न।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या –1801/V–2/05(आ)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : सयुंक्त निदेशक, राजकीय मुद्राणालय, रूडकी, हरिद्वार को इस आशय के साथ प्रेषित कि उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट की 500 प्रतियॉ मुद्रित कराते हुए प्रतियॉ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
सयुंक्त सचिव।

संख्या /V–2/05(आ0)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव, नियोजन, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

3– मण्डलायुक्त, गढवाल एवं कुमायूँ।
4– मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
5 समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– जिलाधिकारी, टिहरी।
7– अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), टिहरी।
8– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/टिहरी।
9– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
10– सचिव, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
11– गार्ड पत्रावली/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह राणा)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

आवास अनुभाग–2

संख्याः — /V–2/2017–05(आ0)/2017

देहरादून / 3 नवम्बर, 2017

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्या–1801/V–2/05(आ0)/2017, दिनांक 13 नवम्बर, 2017 के द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, टिहरी के रूप में अधिसूचित किया जाता है तथा गढ़वाल मण्डल के मण्डलायुक्त को अध्यक्ष, जिलाधिकारी, टिहरी को उपाध्यक्ष तथा अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), टिहरी को सचिव के रूप में अग्रिम आदेशों तक कार्य करने हेतु अधिकृत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या — /V–2/05(आ)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : सयुंक्त निदेशक, राजकीय मुद्राणालय, रूडकी, हरिद्वार को इस आशय के साथ प्रेषित कि उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट की 500 प्रतियॉ मुद्रित कराते हुए प्रतियॉ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
सयुंक्त सचिव।

संख्या 1802(2) /V–2/05(आ0)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव, नियोजन, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– मण्डलायुक्त, गढवाल एवं कुमायूँ।
4– मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– जिलाधिकारी, टिहरी।
7– अपर जिलाधिकारी, टिहरी।
8– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/टिहरी।
9– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
10– सचिव, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
11– गार्ड पत्रावली/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह राणा)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
आवास अनुभाग–2
संख्याः 1803/v–2/2017–05(आ0)/2017
देहरादून 13 नवम्बर, 2017

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा 3 सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा–21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या 1868/V–2/60(आ0)15/2016 दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 का अधिक्रमण करते हुए निम्नलिखित भू–भागों को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण पिथौरागढ के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(क) स्थानीय विकास प्राधिकरण, पिथौरागढ का अधिसूचित समस्त क्षेत्र।
(ख) जिला पिथौरागढ के समस्त स्थानीय विकास निकाय यथा (छावनी परिषद को छोड़ते हुए) नगर पालिका एवं नगर पंचायत।
(ग) जिला पिथौरागढ के राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग के मध्य से दोनो ओर 200 मीटर तक के समस्त राजस्व ग्राम सूची संलग्न।

संलग्नक–यथोपरि।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या 1803/V–2/05(आ)/2017 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि : सयुंक्त निदेशक, राजकीय मुद्राणालय, रूडकी, हरिद्वार को इस आशय के साथ प्रेषित कि उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट की 500 प्रतियॉ मुद्रित कराते हुए प्रतियॉ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
सयुंक्त सचिव।

संख्या 1803/V–2/05(आ0)/2017 तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव, नियोजन, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– मण्डलायुक्त, गढवाल एवं कुमायूँ।

4— मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
5 समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6— जिलाधिकारी, पिथौरागढ।
7— अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), पिथौरागढ।
8— उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/टिहरी।
9— मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
10— सचिव, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
11— गार्ड पत्रावली/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह राणा)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

आवास अनुभाग–2

संख्याः —/V–2/2017–05(आ0)/2017

देहरादून 13 नवम्बर, 2017

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्या–1803/V–2/05 (आ0)/2017, दिनांक नवम्बर, 2017 के द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, पिथौरागढ के रूप में अधिसूचित किया जाता है तथा कुमाऊं मण्डल के मण्डलायुक्त को अध्यक्ष, जिलाधिकारी, पिथौरागढ को उपाध्यक्ष तथा अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), पिथौरागढ को सचिव के रूप में अग्रिम आदेशों तक कार्य करने हेतु अधिकृत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या —/V–2/05(आ)/2017 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि : सयुंक्त निदेशक, राजकीय मुद्राणालय, रूडकी, हरिद्वार को इस आशय के साथ प्रेषित कि उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट की 500 प्रतियॉ मुद्रित कराते हुए प्रतियॉ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
सयुंक्त सचिव।

संख्या 1804(2)/V–2/05(आ0)/2017 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव, नियोजन, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– मण्डलायुक्त, गढवाल एवं कुमायूँ।
4– मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– जिलाधिकारी, पिथौरागढ ।
7– अपर जिलाधिकारी, पिथौरागढ।
8– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/टिहरी।
9– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
10– सचिव, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
11– गार्ड पत्रावली/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह राणा)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
आवास अनुभाग–2
संख्याः 1805/V–2/2017–05(आ0)/2017
देहरादून 13 नवम्बर, 2017

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा 3 सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा–21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या 1869/V–2/60(आ0)15/2016 दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 एवं अधिसूचना संख्या 1859/V–2/60(आ0)15/2016 दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 का अधिक्रमण करते हुए निम्नलिखित भू–भागों को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण बागेश्वर के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(क) स्थानीय विकास प्राधिकरण, बागेश्वर, कौसानी ल्वेशाल का अधिसूचित समस्त क्षेत्र।
(ख) जिला बागेश्वर के समस्त स्थानीय विकास निकाय यथा (छावनी परिषद को छोड़ते हुए) नगर पालिका एवं नगर पंचायत।
(ग) जिला बागेश्वर के राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग के मध्य से दोनो ओर 200 मीटर तक के समस्त राजस्व ग्राम सूची संलग्न।

संलग्नक–यथोपरि।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या 1805(1)/V–2/05(आ)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : सयुंक्त निदेशक, राजकीय मुद्राणालय, रूडकी, हरिद्वार को इस आशय के साथ प्रेषित कि उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट की 500 प्रतियॉ मुद्रित कराते हुए प्रतियॉ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
सयुंक्त सचिव।

स्ख्या 1805(2)/V–2/05(आ0)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव, नियोजन, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– मण्डलायुक्त, गढवाल एवं कुमाऊं।
4– मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण,देहरादून।
5 समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

6— जिलाधिकारी, बागेश्वर ।

7— अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), बागेश्वर।

8— उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/टिहरी।

9— मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।

10— सचिव, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।

11— गार्ड पत्रावली/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह राणा)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
आवास अनुभाग–2
संख्याः —/V–2/2017–05(आ0)/2017
देहरादून। 13 नवम्बर, 2017

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्या–1805/V–2/05(आ0)/2017, दिनांक 13 नवम्बर, 2017 के द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, बागेश्वर के रूप में अधिसूचित किया जाता है तथा कुमाऊं मण्डल के मण्डलायुक्त को अध्यक्ष, जिलाधिकारी, बागेश्वर को उपाध्यक्ष तथा अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), बागेश्वर को सचिव के रूप में अग्रिम आदेशों तक कार्य करने हेतु अधिकृत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या —/V–2/05(आ)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : सयुंक्त निदेशक, राजकीय मुद्राणालय, रूडकी, हरिद्वार को इस आशय के साथ प्रेषित कि उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट की 500 प्रतियॉ मुद्रित कराते हुए प्रतियॉ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
(राजेन्द्र सिंह)
सयुंक्त सचिव।

संख्या 1806(2)/V–2/05(आ0)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव, नियोजन, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– मण्डलायुक्त, गढवाल एवं कुमायूँ।
4– मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– जिलाधिकारी, बागेश्वर ।
7– अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर ।
8– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/टिहरी।
9– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
10– सचिव, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
11– गार्ड पत्रावली/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,
(प्रेम सिंह राणा)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
आवास अनुभाग–2
संख्याः 1807/V–2/2017–05(आ0)/2017
देहरादून 13 नवम्बर, 2017

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा 3 सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा–21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या 1871/V–2/60(आ0) 15/2016 दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 का अधिक्रमण करते हुए निम्नलिखित भू–भागों को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण चम्पावत के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

(क) स्थानीय विकास प्राधिकरण, चम्पावत का अधिसूचित समस्त क्षेत्र।
(ख) जिला चम्पावत के समस्त स्थानीय विकास निकाय यथा (छावनी परिषद को छोड़ते हुए) नगर पालिका एवं नगर पंचायत।
(ग) जिला चम्पावत के राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग के मध्य से दोनो ओर 200 मीटर तक के समस्त राजस्व ग्राम सूची संलग्न।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या –1807/V–2/05(आ)/2017 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि : सयुंक्त निदेशक, राजकीय मुद्राणालय, रूडकी, हरिद्वार को इस आशय के साथ प्रेषित कि उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट की 500 प्रतियॉ मुद्रित कराते हुए प्रतियॉ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
सयुंक्त सचिव।

संख्या–1807/V–2/05(आ0)/2017 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1– सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव, नियोजन, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– मण्डलायुक्त, गढवाल एवं कुमाऊं।
4– मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

6– जिलाधिकारी, चम्पावत।
7– अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), चम्पावत।
8– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/टिहरी।
9– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
10– सचिव, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
11– गार्ड पत्रावली/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह राणा)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
आवास अनुभाग–2
संख्याः —/V–2/2017–05(आ0)/2017
देहरादूनः 13 नवम्बर, 2017

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्या–1807/V–2/05(आ0)/2017, दिनांक 13 नवम्बर, 2017 के द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, चम्पावत के रूप में अधिसूचित किया जाता है तथा कुमाऊं मण्डल के मण्डलायुक्त को अध्यक्ष, जिलाधिकारी, चम्पावत को उपाध्यक्ष तथा अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), चम्पावत को सचिव के रूप में अग्रिम आदेशों तक कार्य करने हेतु अधिकृत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या —/V–2/05(आ)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : सयुंक्त निदेशक, राजकीय मुद्राणालय, रूडकी, हरिद्वार को इस आशय के साथ प्रेषित कि उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट की 500 प्रतियॉ मुद्रित कराते हुए प्रतियॉ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
(राजेन्द्र सिंह)
सयुंक्त सचिव।

1808(2)
संख्या /V–2/05(आ0)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव, नियोजन, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– मण्डलायुक्त, गढवाल एवं कुमायूँ।
4– मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– जिलाधिकारी, चम्पावत ।
7– अपर जिलाधिकारी, चम्पावत।
8– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/टिहरी।
9– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
10– सचिव, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
11– गार्ड पत्रावली/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,
(प्रेम सिंह राणा)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
आवास अनुभाग–2
संख्याः 1809/v–2/2017–05(आ0)/2017
देहरादून 13 नवम्बर, 2017

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा 3 सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा–21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके पूर्व में जारी पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश की अधिसूचना संख्या–4186/37–3–163–नि0का0वि0–74 दिनांक 30 अक्टूबर, 1980 तथा पूर्ववर्ती राज्य उ0प्र0 की अधिसूचना संख्याः 2987 (3)/37–3–163 एन0 के0 वि0/76 दिनांक 28 जून, 1982 का अधिक्रमण करते हुए निम्नलिखित भू–भागों को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण अल्मोड़ा के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(क) पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश की अधिसूचना संख्याः 4186/37–3–163–नि0का0वि0–74 दिनांक 30 अक्टूबर, 1980 के अधिसूचित क्षेत्र ।
(ख) जनपद अल्मोड़ा के समस्त स्थानीय विकास निकाय यथा (छावनी परिषद को छोडकर हुए) नगर पालिका एवं नगर पंचायत।
(ग) जनपद अल्मोड़ा के राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग के मध्य से दोनो ओर 200 मीटर तक के समस्त राजस्व ग्राम सूची संलग्न।

संलग्नक–यथोपरि।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या –1809/V–2/05(आ)/2017 तद्‌दिनांक।
प्रतिलिपि : सयुंक्त निदेशक, राजकीय मुद्राणालय, रूडकी, हरिद्वार को इस आशय के साथ प्रेषित कि उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट की 500 प्रतियॉ मुद्रित कराते हुए प्रतियॉ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
सयुंक्त सचिव।

संख्या–1809/V–2/60(आ0)/15/2017 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव, नियोजन, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– मण्डलायुक्त, गढवाल एवं कुमायूँ।
4– मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
5 समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– जिलाधिकारी, अल्मोडा।
7– अपर जिलाधिकारी(प्रशासन), अल्मोडा।
8– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/टिहरी।
9– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
10– सचिव, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
11– गार्ड पत्रावली/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह राणा)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

आवास अनुभाग–2

संख्याः ——/V–2/2017–05(आ0)/2017

देहरादून / नवम्बर, 2017

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्या–1809/V–2/05(आ0)/2017, दिनांक 13 नवम्बर, 2017 के द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, अल्मोडा के रूप में अधिसूचित किया जाता है तथा कुमाऊं मण्डल के मण्डलायुक्त को अध्यक्ष, जिलाधिकारी, अल्मोडा को उपाध्यक्ष तथा अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), अल्मोडा को सचिव के रूप में अग्रिम आदेशों तक कार्य करने हेतु अधिकृत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या ——/V–2/05(आ)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : सयुंक्त निदेशक, राजकीय मुद्राणालय, रूडकी, हरिद्वार को इस आशय के साथ प्रेषित कि उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट की 500 प्रतियॉ मुद्रित कराते हुए प्रतियॉ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
सयुंक्त सचिव।

संख्या 1810(2)/V–2/05(आ0)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव, नियोजन, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– मण्डलायुक्त, गढवाल एवं कुमायूॅ।
4– मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– जिलाधिकारी, अल्मोड़ा ।
7– अपर जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
8– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/टिहरी।
9– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
10– सचिव, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
11– गार्ड पत्रावली/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह राणा)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
आवास अनुभाग–2
संख्याः 1811/V–2/2017–05(आ0)/2017
देहरादून 13 नवम्बर, 2017

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा 3 सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा–21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या–1855/V-2/60–(आ0)15/2016 दिनांक 21 दिसम्बर, 2016, अधिसूचना संख्या–1856/V-2/60–(आ0)15/2016 दिनांक 21 दिसम्बर, 2016, अधिसूचना संख्या–1860/V-2/60–(आ0)15/2016 दिनांक 21 दिसम्बर, 2016, अधिसूचना संख्या–1879/V-2/60–(आ0)15/2016 दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 एवं अधिसूचना संख्या–794/V-2/60–(आ0)15/2016 दिनांक 26 मई, 2016 का अधिक्रमण करते हुए निम्नलिखित भू–भाग को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, ऊधमसिंह नगर के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(क) सम्पूर्ण जिला उधमसिंह नगर का भू–भाग।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या –1811/V–2/60(आ)/15/2017 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि : सयुंक्त निदेशक, राजकीय मुद्राणालय, रूडकी, हरिद्वार को उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट की 100 प्रतियॉ मुद्रित करते हुए प्रतियॉ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
सयुंक्त सचिव।

संख्या–1811/V–2/60(आ0)/15/2017 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव, नियोजन, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– मण्डलायुक्त, गढवाल एवं कुमायूॅ।
4– मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।

5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
7– अपर जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
8– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/नैनीताल/गंगोत्री।
9– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
10– सचिव, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
11– गार्ड पत्रावली/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह राणा)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

आवास अनुभाग–2

संख्याः— /V–2/2017–05(आ0)/2017

देहरादून/13 नवम्बर, 2017

अधिसूचना

चूंकि उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–1811/V–2/05(आ0)/2017, दिनांक 13 नवम्बर 2017 के द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, ऊधमसिंहनगर को विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है।

अतः अब राज्यपाल, उक्त अधिसूचित क्षेत्र को उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, ऊधमसिंहनगर के रूप में गठित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

राज्यपाल यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के गठन के फलस्वरूप उसके अध्यक्ष के रूप में संबंधित मण्डलायुक्त, उपाध्यक्ष के रूप में जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर तथा सचिव के रूप में अपर जिलाधिकारी, जिला ऊधमसिंहनगर को अग्रिम आदेशों तक अपने कार्य के अतिरिक्त उक्त प्राधिकरण के दायित्वों तथा शक्तियों का निर्वहन करने हेतु प्राधिकृत कर दिया जाय।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या — /V–2/05(आ)/2017 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि : सयुंक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी, हरिद्वार को इस आशय के साथ प्रेषित कि उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट की 500 प्रतियॉ मुद्रित कराते हुए प्रतियॉ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
सयुंक्त सचिव।

1816(2)

संख्या /V–2/05(आ0)/2017 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव, नियोजन, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– मण्डलायुक्त, गढवाल एवं कुमायूॅ।
4– मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर ।
7– अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), ऊधमसिंहनगर ।
8– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/टिहरी।
9– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
10– सचिव, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
11– गार्ड पत्रावली/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह राणा)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

आवास अनुभाग–2

संख्याः 1813/V–2/2017–05(आ0)/2017

देहरादूनः दिनांक 13 नवम्बर, 2017

अधिसूचना

चूंकि पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या–5148/11–5–89–69बैठक/89 दिनांक 21.10.1990 द्वारा नैनीताल झील परिक्षेत्र विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था,

और चूंकि पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश शासन की कमशः अधिसूचना संख्याः 3160/आ0–5–94 दिनांक 07.09.1994, अधिसूचना संख्या–2273/09–96–69एम/89, दिनांक 01 जुलाई, 1996 तथा अधिसूचना संख्या–134/09–आ0–5–99–69एम/89 दिनांक 19.03.1999, अधिसूचना संख्या–1858/V-2/60(आ0)15/2016, दिनांक 21.12.2016 द्वारा उक्त प्राधिकरण में आंशिक रूप से उसके क्षेत्र के सम्बंध में संशोधन किया गया था,

और चूंकि उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–1872/V-2/60(आ0)15/2016, दिनांक 21.12.2016 एवं अधिसूचना संख्या–794/V-2/आ0–60(आ0)/2015, दिनांक 26.05.2016 द्वारा कमशः हल्द्वानी–काठगोदाम एवं रामनगर विनियमित क्षेत्र को स्थानीय विकास प्राधिकरण के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था,

और चूंकि उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 794/V–2–आ–2016–60(आ0)/2015 दिनांक 26 मई, 2016 द्वारा अधिसूचना निर्गत होने की तारीख से जिला नैनीताल के मैदानी क्षेत्रों का ऐसा भू–भाग जिसमें कोई विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/नियंत्रण प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित नहीं था, को धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया था,

और चूंकि सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा किया जाना जनहित में उचित है, अतः उक्त अधिसूचना दिनांक 26 मई, 2016 से जिला नैनीताल के परिप्रेक्ष्य में उक्तवत मैदानी क्षेत्रों के भू–भाग को जिला स्तरीय नैनीताल विकास प्राधिकरण में सम्मिलित कर लिया जाय,

अतः राज्यपाल, अब, उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा 3 सपठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना दिनांक 26 मई 2016 को आंशिक रूप से अधिक्रमित करते हुए जिला नैनीताल के उक्त भू–भाग को कमशः नैनीताल झील परिक्षेत्र विशेष प्राधिकरण, स्थानीय विकास प्राधिकरण रामनगर तथा स्थानीय विकास प्राधिकरण हल्द्वानी–काठगोदाम को समाप्त करते हुए जिला नैनीताल के समस्त स्थानीय नगर निकाय यथा नगर निगम, नगर पालिकाएं तथा नगर पंचायतें (छावनी परिषद को छोड़कर) एवं जिला नैनीताल के पर्वतीय भू–भाग का राष्ट्रीय व राज्य राजमार्ग के मध्य से दोनों ओर 200 मीटर तक कि समस्त राजस्व ग्राम जिनकी सूची संलग्न की जा रही है, को सम्मिलित करते हुए जिला स्तरीय नैनीताल विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

संलग्नक–यथोपरि।

(अमित सिंह नेगी)

सचिव।

संख्या –1813/V–2/2017–05 (आ)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : सयुंक्त निदेशक, राजकीय मुद्राणालय, रूडकी, हरिद्वार को इस आशय के साथ प्रेषित कि उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट की 100 प्रतियॉ मुद्रित कराते हुए प्रतियॉ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
सयुंक्त सचिव।

संख्या –1813 /V–2/2017–05 (आ0)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव, नियोजन, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– मण्डलायुक्त, गढवाल एवं कुमायूॅ।
4– मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण,देहरादून।
5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– जिलाधिकारी, नैनीताल।
7– अपर जिलाधिकारी, नैनीताल।
8– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/नैनीताल/गंगोत्री।
9– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
10– सचिव, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
11– गार्ड पत्रावली/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह राणा)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
आवास अनुभाग–2
संख्याः —/V–2/2017–05(आ0)/2017
देहरादून 13 नवम्बर, 2017

अधिसूचना

चूंकि उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–1813/V–2 /05(आ0)/2017, दिनांक 13 नवम्बर, 2017 के द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल को विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है।

अतः अब राज्यपाल, उक्त अधिसूचित क्षेत्र को उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला स्तरीय स्थानीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल के रूप में गठित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

राज्यपाल यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के गठन के फलस्वरूप उसके अध्यक्ष के रूप में संबंधित मण्डलायुक्त, उपाध्यक्ष के रूप में जिलाधिकारी, नैनीताल तथा सचिव के रूप में अपर जिलाधिकारी, जिला नैनीताल को अग्रिम आदेशों तक अपने कार्य के अतिरिक्त उक्त प्राधिकरण के दायित्वों तथा शक्त्यिों का निर्वहन करने हेतु प्राधिकृत कर दिया जाय।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या — /V–2/05(आ)/2017 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि : सयुंक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी, हरिद्वार को इस आशय के साथ प्रेषित कि उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट की 500 प्रतियॉ मुद्रित कराते हुए प्रतियॉ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
(राजेन्द्र सिंह)
सयुंक्त सचिव।

संख्या 1814(2) /V–2/05(आ0)/2017 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव, नियोजन, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– मण्डलायुक्त, गढवाल एवं कुमायूॅं।
4– मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– जिलाधिकारी, नैनीताल ।
7– अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), नैनीताल ।
8– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/टिहरी।
9– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
10– सचिव, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
11– गार्ड पत्रावली/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,
(प्रेम सिंह राणा)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
आवास अनुभाग–2
संख्याः — /V–2/2017–05(आ0)/2017
देहरादूनः दिनांक 13 नवम्बर, 2017

अधिसूचना

चूंकि पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 540/11–5–86–23(1) डी0ए0/85 दिनांक 02.05.1986 द्वारा हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण के क्षेत्र का गठन किया गया था,

और चूंकि उक्त अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए उत्तराखण्ड शासन द्वारा उसकी अधिसूचना संख्याः 959/V–2/2014–90 (आ0)/2011 दिनांक 27.08.2014 एवं अधिसूचना 1328/V–2/2017–90 (आ0)/2011 दिनांक 14 सितम्बर, 2017 से उक्त हरिद्वार रूड़की विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में विस्तार करने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी,

और चूंकि उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 794/V–2–आ–2016–60 (आ0)/2015 दिनांक 26 मई, 2016 द्वारा अधिसूचना निर्गत होने की तारीख से जिला हरिद्वार के मैदानी क्षेत्रों का ऐसा भू–भाग जिसमें कोई विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/नियंत्रण प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित नहीं था, को धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया था,

और चूंकि सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा किया जाना जनहित में उचित है, अतः उक्त अधिसूचना दिनांक 26 मई, 2016 से जिला हरिद्वार के परिप्रेक्ष्य में उक्तवत मैदानी क्षेत्रों के भू–भाग को हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण में सम्मिलित कर लिया जाय,

अतः राज्यपाल, अब, उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा 3 सपठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना दिनांक 26 मई 2016 को आंशिक रूप से अधिक्रमित करते हुए जिला हरिद्वार के उक्त भू–भाग को हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या —/V–2/2017–05 (आ)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : सयुंक्त निदेशक, राजकीय मुद्राणालय, रूडकी, हरिद्वार को इस आशय के साथ प्रेषित कि उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट की 100 प्रतियॉ मुद्रित कराते हुए प्रतियॉ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
सयुंक्त सचिव।

1817(2)

संख्या /V–2/2017–05 (आ0)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव, नियोजन, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– मण्डलायुक्त, गढवाल एवं कुमायूँ।
4– मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण,देहरादून।
5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– जिलाधिकारी, हरिद्वार।
7– अपर जिलाधिकारी, हरिद्वार।
8– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/नैनीताल/गंगोत्री।
9– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
10– सचिव, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
11– गार्ड पत्रावली/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह राणा)
अनु सचिव।